अध्याय 12

लेखापरीक्षा परिणामों का अनुवर्तन

141. लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षणीय सत्त्व द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और सिफारिशों और सरकार के द्वारा पर्याप्त चूक के रिकॉर्ड का रखरखाव

प्रत्येक लेखापरीक्षा कार्यालय और लेखापरीक्षणीय सत्त्व लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और सिफारिशों के संबंध में उचित रिकॉर्ड का रखरखाव करेगा ताकि की गई कार्रवाई की मानीटरिंग की जा सके और अनुवर्ती कार्रवाई को बनाए रखा जा सके ।

सरकार उन प्रणालियों और क्रियाविधियों को स्थापित और कार्यान्वित करेगी जो लेखापरीक्षा द्वारा संसूचित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर पर्याप्त, रचनात्मक और सामयिक कार्रवाई सुनिश्चित करती हो।

142. सरकार तथा विभागाध्यक्ष को प्रमुख अनियमितताओं की सूचना और उनकी रिपोर्टों का भेजा जाना

(1) महालेखाकार (लेखापरीक्षा), लेखापरीक्षा में पायी गई प्रमुख अनियमितता के प्रत्येक दृष्टांत की सूचना दृष्टांत के लेखापरीक्षा के ध्यान में आने के समय से यथा संभव शीघ्रता से विभागाध्यक्ष को उसकी प्रति सहित संबंधित विभाग के सचिव को एक विशेष प्रबन्धन पत्र के माध्यम से देगा। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) ऐसे सभी दृष्टांत निर्धारित ढंग से नियंत्रक एवंमहालेखापरीक्षक को भी सूचित करेंगे।

(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रमुख अनियमितता की सूचना पर, सरकार प्रथमतः तथ्यों की जांच करेगी और महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को ईसकी सूचना की प्राप्ति के तीन सप्ताह के अन्दर तथ्यों की पुष्टि अथवा उनसे इन्कार करते हुए एक प्रारम्भिक रिपोर्ट भेजेगी

(3) जहां प्रारम्भिक रिपोर्ट में सरकार द्वारा प्रमुख अनियमितता के तथ्य से इन्कार नहीं किया गया है, वहां सरकार प्रारम्भिक रिपोर्ट के दो महीने के अन्दर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को फिर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजेगी जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ उनकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए की गई उपचारी कार्रवाई तथा उस चूक के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई को भी दर्शाया जाएगा।

(4) सरकार को प्रमुख अनियमितताओं की रिपोर्टिंग को समर्थित साक्ष्य के संदर्भ में समुचित जांच और जहां तक सम्भव हो लेखापरीक्षणीय सत्त्व के मत पर विचार करने के पश्चात ही किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरीके से केवल प्रमुख अनियमितताएं ही सूचित की जाएं।

143. लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई प्रणालीगत चूकों अथवा उच्च जोखिमों पर अनुवर्ती कार्रवाइ

जहाँ लेखापरीक्षा प्रणालीगत चूकों अथवा उच्च जोखिमों का उल्लेख करती है, वहाँ विभाग ऐसी चूकों का पता लगाने के लिए और पता लगाये गये ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगा।

144. विभाग द्वारा की गइ अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना

विभाग, एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अन्दर लेखापरीक्षा को भेजेगा जिसमें उस वित्तीय वर्ष के अंत तक संसद अथवा विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल स्वीकृत पैराग्राफों के संबंध में वसूलियों सहित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के ब्यौरे शामिल होंगे।

145. लेखापरीक्षा समितियों की स्थापना और उनका गठन

(1) सरकार बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की मानीटरिंग तथा ईनके अनुपालन और निपटान सुनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु लेखापरीक्षा समितियों की स्थापना कर सकती है। इस तरह स्थापित प्रत्येक समिति में प्रशासनिक विभाग और लेखापरीक्षा में से एक–एक प्रतिनिधि तथा लेखापरीक्षणीय सत्त्व के विभागाध्यक्ष के अतिरिक्त वित्त विभाग से एक नामिती होगा। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त अभिलिखित किए जाएंगे।

(2) राज्यों में स्थित केन्द्र सरकार के संगठनों के मामले में, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान के लिए मंत्रालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के परामर्श से राज्य स्तरीय लेखापरीक्षा समिति नामित कर सकता है।

146. लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के संबंध में वार्षिक सार्वजनिक विवरण

प्रत्येक विभाग का प्रमुख प्रत्येक वर्ष की पहली तिमाही में नियमित रूप से अद्यतित विभाग/मंत्रालय की वेबसाईट पर निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएगा

(क) पिछले वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदनों) में शामिल किए गए लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों/पैराग्राफों की संख्या तथा सारय

(ख) पिछले वर्ष के दौरान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा सूचित की गई प्रमुख अनियमितताओं की संख्या तथा सारय

(ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाईय

(घ) पिछले वर्ष के दौरान जारी (देखें विनियम 136) की गई ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/निरीक्षण रिपोटों में शामिल की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों आदि की संख्या तथा पर्याप्त धन मूल्य वाली और गंभीर आंतरिक नियंत्रण चूकों वाली अभ्युक्तियों का सार।

147. विधान मण्डल के पटल पर रखने के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां भेजना

(1) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, सरकार के सचिव, वित्त मंत्रालय या वित्त विभाग, जैसा मामला हो, को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षतरित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां भेजेंगे जो आगे की कार्रवाई और संसद या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल या प्रशासक को प्रस्तुत करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे। अधिनियम की धारा 19ए के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रतियां संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव अथवा विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को भेजी जाएगी जो उसे संसद अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल में प्रस्तुत करने के लिए तत्काल कार्रवाई करेंगे।

(2) साथ ही लेखापरीक्षा प्रतिवदेन की एक हस्ताक्षतरित प्रति भारत के राष्ट्रप्रति के सचिव या राज्य या विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, जैसा भी मामला हो, को यह सूचित करते हुए भेजी जाएंगी कि आवश्यक प्रतियां वित्त मंत्रालय/विभाग को भेज दी गई हैं।

148. प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार के सचिव को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां भेजना

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) संसद या विधान मण्डल, जैसा भी मामला हो, में प्रतिवेदन के प्रस्तुत हो जाने के बाद संबंधित विभाग के सरकार के सचिव को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां भेजेंगे।

149. लोक लेखा समिति या लोक उपक्रम समिति को प्रस्तुत करने के लिए की गई कार्रवाई टिप्पणी तैयार करना

संबंधित विभाग की सरकार के सचिव अपने विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफ (पैराग्राफों) पर स्व–व्याख्यात्मक कार्रवाई टिप्पणी (टिप्पणीयां) करेगें जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रम समिति को प्रस्तुत किए जाने के लिए शामिल किया गया है। प्रत्येक मामले में, स्व–व्याख्यात्मक कार्रवाई पर सचिव का अनुमोदन होगा और इसमें उल्लेख होगा किः

(1) क्या ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को लिखित उत्तर भेजा गया था और यदि नहीं तो ऐसा न किए जाने के कारणय

(2) क्या लेखापरीक्षा पैराग्राफ में बताए गए तथ्य तथा आंकड़ें स्वीकार्य हैं और यदि नहीं तो जब ड्राफ्ट पैराग्राफ सचिव द्वारा प्राप्त किया गया था, तब इसे न बताए जाने के कारणय

(3) परिस्थितियां जिनमें हानि, विफलता, निष्फल व्यय आदि, जैसा कि लेखापरीक्षा पैराग्राफ में बताया गया, किस कारण से हुए (क) आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली सहित वर्तमान प्रणाली में कमी, (ख)

प्रणालियों तथा क्रियाविधियों का अनुपालन करने में विफलता या (ग) पर्यवेक्षण स्तरों के व्यक्तियों सहित व्यक्तियों की विफलताय

(4) हानि, विफलता, निष्फल व्यय आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (व्यक्तियों) पर उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए की गई कार्रवाई और सम्भावित समय सीमा जिसके अन्दर ऐसी कार्रवाई पूर्ण होने की आशा हैय

(5) लेखापरीक्षा पैराग्राफ में यथा उल्लिखित सरकार को प्राप्य किसी राशि की वसूली की वर्तमान स्थितिय

(6) लेखापरीक्षा पैराग्राफ में दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाईय

(7) ऐसे अन्य समान मामलों की समीक्षा के परिणाम और की गई कार्रवाईय

(8) प्रणालियों को कारगर बनाने और प्रणाली की कमियों, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए तथा भविष्य में ऐसे मामलों के घटित होने से बचने के लिए की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित उपचारी कार्रवाईय तथा

(9) ऐसी अन्य सूचना जो लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति द्वारा निर्धारित की गई हो।

150. महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लोक लेखा समिति अथवा लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियों और उत्तरों की संवीक्षा

संघ, राज्यों तथा विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों में जहां विधायी समितियां अथवा सरकार यह चाहती है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई, टिप्पणियों और उत्तरों की संवीक्षा करे, वहां निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगीः

(1) संबंधित विभाग के सरकार के सचिव, उचित रूप से संदर्भित तथा संयोजित सुसंगत फाइलों तथा दस्तावेजों, जिन पर स्वतः स्पष्ट टिप्पणी तैयार की गई है, के साथ ड्राप्ट स्वतः स्पष्ट की गई कार्रवाई टिप्पणी की दो प्रतियां महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को संवीक्षा के लिए भेजेंगे। ऐसा ऐसी समय अवधि के अंदर किया जायगा, जैसाकि लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति द्वारा निर्धारित स्वतः स्पष्ट की गई कार्रवाई टिप्पणियों के प्रस्तुतीकरण के लिए समय अनुसूची की आवश्यकताओं के सुसंगत पाया जाए।

(2) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) यथासंभव शीघ्र, परंतु एक माह के बाद नहीं, विधिक्त संवीक्षित कर स्वतः स्पष्ट की गई कार्रवाई टिप्पणी सचिव को वापस करेंगे। लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति द्वारा निर्धारित की गई अपेक्षाओं के अध्यधीन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की संवीक्षित टिप्पणियों में आगे की कार्रवाई के लिए सुझाव शामिल किए जा सकते हैं।

(3) सचिव संवीक्षित टिप्पणी की प्रतियों की अपेक्षित संख्या, जैसे लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति द्वारा निर्धारित किया जाय, निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति के सचिवालय को भेजेंगे और वित्त मंत्रालय अथवा वित्त विभाग, जैसा भी मामला हो तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रत्येक को एक–एक प्रति भी अग्रषित करेंगें

(4) लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों की प्राप्ति पर सचिव ऐसी अवधि के भीतर और ऐसे प्रपत्र में जिसे लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति निर्धारित करे, समिति को प्रस्तुतीकरण के लिए की गई कार्रवाई टिप्पणी के रूप में सरकार की प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए कार्रवाई आरंभ करेंगे।

(5) लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर सरकार की प्रतिक्रिया उचित रूप से संदर्भित तथा संयोजित सुसंगत फाइलों तथा दस्तावेजों के साथ संबंधित समिति को प्रस्तुत करने से पूर्व संवीक्षा के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भेजी जाएगी। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) की संवीक्षा टिप्पणियां, लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति को भेजे जाने वाले प्रत्युत्तर में विधिवत प्रदर्शित की जाएंगी।

151. समय से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों तथा क्रियाविधियों हेतु सरकार का कर्तव्य

सभी स्तरों पर अन्य बातों के साथ–साथ भूमिकाओं तथा उत्तरदायित्वों को स्पष्टतया परिभाषित करते हुए ऐसी पर्याप्त तथा विश्वसनीय प्रणालियों तथा क्रियाविधियों की स्थापना तथा प्रवर्तित करना सरकार का कर्तव्य होगा जो यह सुनिश्चित करती है कि (प) ड्राप्ट पैराग्राफों के उत्तर (पप) लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल मामलों पर स्वतः स्पष्ट की गई कार्रवाई टिप्पणियां, और (पपप) लोक लेखा समिति/लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियां प्रत्येक मामले में निर्धारित समय सीमा के अंदर उचित अधिकारियों को भेजे जाते हैं।

152. सरकार को विलंब के मामले में सूचित करना

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) संघ सरकार के मामले में सचिव (व्यय) वित्त मंत्रालय को तथा राज्य सरकार के मामले में मुख्य सचिव को और विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र के मामले में प्रशासक को विलंब के मामले में सूचित करेंगे। विलंब के मामलों पर भी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उचित रूप से टिप्पणियां की जा सकती है।

(स्रोतः लेखापरीक्षा एवं लेखा का विनियमन–2020)